

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

स०स०

यो०स्था०१/१-२७/२०१८- १५३ /यो०वि०,पटना,दिनांक १० फरवरी, २०१९

संकल्प

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार योजना सेवा, बिहार सांख्यिकी सेवा तथा बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा के मूल कोटि के राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है -

1	बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनित एक सदस्य	अध्यक्ष
2	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में नामित पदाधिकारी	सदस्य
4	बिहार योजना सेवा/बिहार सांख्यिकी सेवा स्थापना/बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा के स्थापना के वरीय प्रभारी पदाधिकारी	सदस्य
5	मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, पटना	सदस्य
6	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी	सदस्य
7	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनोनित अल्पसंख्यक समुदाय के एक पदाधिकारी	सदस्य

पूर्व में इस सबंध में निर्गत विभागीय परिपत्र/संकल्प/अधिसूचना को इस हदतक राशोधित समझा जाए।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

अपर सचिव

ज्ञापक
प्रतिलिपि

यो०स्था०१/१-२७/२०१८- १५३ /यो०वि०,पटना,दिनांक १० फरवरी, २०१९
अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/अपर सचिव/सयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापक
प्रतिलिपि-

यो०स्था०१/१-२७/२०१८- १५३ /यो०वि०,पटना,दिनांक १० फरवरी, २०१९
अधीक्षक, ई-गजट कोषाग, वित्त विभाग को (सी०डी० के साथ) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार, पटना/आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/राष्ट्रीय पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव